कार्यालय उप निदेशक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0)

Phone (07774) – 240987 Email id :dders2014@gmail.com

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 162 अम्बिकापुर, दिनांक 12 / 01 / 2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
स्टेट डॉटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर (छ0ग0)

विषय :– आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत एलीफेन्ट रिजर्व तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.462 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन बावत्। ।

संदर्भ :– 1– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक / एफ 5–37 / 2023 10–2 दिनॉक 19.12.2023।

2– प्र0मु0व0सं0 एवं वनबल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र0 / भू–प्रबंध / विविध–ए / 115–852 / 60 नवा रायपुर दिनॉक 08.01.2023।

3– वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक (एलीफेंट रिजर्व सरगुजा) का पत्र क्रमांक / मा.चि / 2024 / 118 अम्बिकापुर दिनांक 10.01.2024

4– वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक (एलीफेंट रिजर्व सरगुजा) का पत्र क्रमांक / मा.चि / 2024 / 140 अम्बिकापुर दिनांक 12.01.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा अंतर्गत तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के गेमरेंज खोंड़ अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.462 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन निर्धारित शर्तों के अधीन प्रकरण में (प्रथम चरण) (सैद्धांतिक) स्वीकृति जारी की गई है।

शर्त क्रमांक **4 (अ)** के अनुसार समादेश याचिका (सी) क्रमांक / 202 / 1995 / के अंतर्गत आई.ए.क्रमाक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनॉक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (पार्ट –II) दिनॉक 18.03.2003 के साथ इससे संबंधित पत्र क्रमांक 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनॉक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनॉक 05.02.2009 तथा पत्र क्रमांक 5–3 / 2011–FC(Vol-I) . दिनॉक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5–3 / 2011–FC(Vol-I) . दिनॉक 22.03.2022 के द्वारा जारी जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुध्द वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जाएगी।

शर्त क्रमांक **4 (ब)** के अनुसार विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एव उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रुप देने के पश्चात यदि शुध्द वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

शर्त क्रमांक **16** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनॉक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित / अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु बचनबध्द रहेगा।

शर्त क्रमांक 18 बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

अतः प्रस्तावित क्षेत्र का वर्तमान शुध्द प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) गणना पत्रक अनुसार एवं क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का विवरण निम्नानुसार है (जो संदर्भित पत्र क्रमांक 01 में उल्लेखित शर्तो एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के नियमों के अधीन शासित होगा) :–

12/01/24

Scanned with OKEN Scanner

क्र	विषय	रकबा (हे.)	देय राशि रुपये (लाख में)	जमा राशि रुपये (लाख में)	शेष देय राशि रुपये (लाख में)
1	अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए शुध्द प्रत्याशा मूल्य (1357110 X 5 = 6785550 प्रति हे.) ईको क्लास दर अनुसार	1.462	99,20,474.10	00	99,20,474.10
2	राज्य कैम्पा के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले में समतुल्य राजस्व वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य (वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की राशि वर्ष 2023–24 हेतु 9,66,666=00 प्रति हे0 के मान से लागू)	1.462	14,13,265.692	00	14,13,265.692
	योग :–		**1,13,33,739.792**	**00**	**1,13,33,739.792**
			या 1,13,33,740.00/–(एक करोड़ तेरह लाख तैंतीस हजार सात सौ चालीस रू मात्र.)		

(टीप:– तालिका के विंदु क्रमांक 01 में शुध्द प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) हेतु गणना पत्रक में ईको क्लास III के नार्म्स अनुसार very dence forest के प्रत्याशा मूल्य रू. 13,57,110=00 प्रति हे0 के मान से गणना की गई है एवं अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण शुध्द प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) के पॉच गुना राशि आवेदक संस्थान द्वारा देय होगी।

तालिका के विंदु क्रमांक 02 में आवेदक संस्थान द्वारा उपयोगकर्ता संस्था के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.462 हे0 के ऐवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगॉव में 2.967 हे0 तथा पोड़गॉव में 10.427 हे0 कुल 13.394 हे0 राजस्व भूमि में से समतूल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किये जाने संबंध में लेख है। अतः केवल समतुल्य क्षेत्र हेतु ही CA राशि का प्रस्ताव दिया गया है। **पत्र क्रमांक एफ 5–37/2023/10–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19.12.2023 में उल्लेखित एवं निर्देशानुसार)**

अतः निर्देशित है कि शुध्द प्रत्याशा मूल्य की राशि एवं क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि **1,13,33,740.00/–** (एक करोड़ तेरह लाख तैंतीस हजार सात सौ चालीस मात्र) Compaensatory Afforstation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली– 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित कर ई चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में अविलम्ब जमा करें तथा जमा राशि की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, साथ ही छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(यदि शासन के नियमानुसार उक्त राशि में (N.P.V. एवं CA राशि) किसी भी प्रकार का अंतर अथवा परिवर्तन होता है तो उक्त अंतर की राशि आपकी संस्था द्वारा संबंधित खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

12/01/24

उपनिदेशक
एलीफेन्टरिजर्वसरगुजा
अम्बिकापुर छ0ग0

क्रमांक/मा.चि./ 2024/163 **अम्बिकापुर, दिनांक 12/01/2024**

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) छ0ग0 रायपुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
4. वनसंरक्षक (व0प्रा0) सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर छ0ग0 को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

12/01/24

उपनिदेशक
एलीफेन्टरिजर्वसरगुजा
अम्बिकापुर छ0ग0

12/01/24

(02)

Scanned with OKEN Scanner

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रत्याशा मूल्य (N.P.V.) की राशि का गणना पत्रक

का पंजीयन क्रमांक :– /FP/CG/OFC/43274/2019

प्रकरण का नाम :– ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु

वनवृत्त :– सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर (वन्यप्राणी)

वनमण्डल :– एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर

कुल आवेदित वनभूमि :– 1.462 हे.

वनभूमि आरक्षित वन कक्ष क्रमांक – 909,910, 911, 914, 928, 929, 879, 880 882,

संरक्षित वन कक्ष क्रमांक – P227, P228, P897, P899, P900, P226 P223, P224, P225, P884, P885

कोर्डिनेट

	Longitude	Latitude
Starting Point	82'49'31.29130"	23'45'45.28917"
Middle Point	82'51'02.17901"	23'40'47.80992"
End Point	82'49'24.75325"	23'39'51.90205"

नारंगी वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक :– –

राजस्व वनक्षेत्र खसरा क्रमांक :– 1,7,9,11,714,716,317

आवेदक संस्था :– संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्फोटेक प्रनोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर (छ0ग0)

भूमि का प्रकार	वनों का प्रकार (चैम्पयन एवं सेठ वर्गीकरण के अनुसार)	कुल क्षेत्र	नियत ईको (Eco Class) विभिन्न घनत्व श्रेणी अंतर्गत क्षेत्रफल									कुल क्षेत्र ईको क्लास (हे.) (4+7+10)	कुल प्रत्याशा मूल्य (रु.) (6+9+12)
			बहुत सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.) (1357110 X 5)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)	सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)	खुला वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Reserve Forest (आरक्षित वन)	III	0.431	0.431	6785550	2924572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.431	2924572
Protected Forest (संरक्षित वन)		0.992	0.992		6731265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.992	6731265
Undemareated Forest Orange Area (नारंगी क्षेत्र)	–''–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Revenue Forest Land (राजस्व वन क्षेत्र)	III	0.039	0.039	6785550	264636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.039	264636
कुल (अ)			1.462	13571100	9920473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.462	9920473

कुल प्रत्याशा मूल्य की देय राशि (समस्त कार्यों हेतु) रु. 9920473/– निन्यानबे लाख बीस हजार चार सौ तिहत्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर दर्शित ईको क्लास, वनों का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।

मेरे द्वारा पुनः जांचा गया एवं उपर दर्शित ईको क्लास वनों का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।

अनुमोदित

मानचित्रकार शाखा प्रभारी के हस्ताक्षर

संलग्न अधिकारी/अधीक्षक के हस्ताक्षर

उपनिदेशक
एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा
अम्बिकापुर (छ0ग0)

वनसंरक्षक (व0प्रा0)
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

6785550 प्रति हे.) इको क्लास के
अनुसार

Scanned with OKEN Scanner